

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 22, 2021 (MAGHA 2, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2021

संख्या 04/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्निलखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये नियम प्रथम जनवरी, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है), में नियम 59 में, उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः :—
 - ''(6) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—
 - (क) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर—1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती दो मासों के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है;
 - (ख) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके लिए धारा 39 की उप—धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, को प्ररूप जीएसटीआर—1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे अथवा बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती कर अविध के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है;
 - (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियम 86ख के अधीन इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध राशि का अपने कर दायित्व के निर्वहन का, ऐसे कर दायित्व के निन्यानवे प्रतिशत से अधिक उपयोग करने में प्रतिबंधित है को प्ररूप जीएसटीआर—1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे अथवा बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती कर अविध के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है।"।

अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 2021

No. 04/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.
 - (2) These rules shall be deemed to have come into force from the 1st day of January, 2021.
- 2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted namely:-
 - "(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -
 - (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;
 - (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to Sub-section (1) of Section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;
 - (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine percent of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9043—C.S.—H.G.P., Pkl.